बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>अधिसूचना</u>

पटना–15, दिनांकः **17.06.2026.**

संख्या–1/सी०–1009/2026–सा०प्र०–10805/चयन सूची, 2025 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम–5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–14015/04/2026–एआईएस(I)–बी दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम–8(1)–सह–भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम–9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम–3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 14 (चौदह) पदाधिकारियों की भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में अधिसूचित नियुक्ति के आलोक में विभागीय अधिसूचना–10721 दिनांक 16.06.2026 से संबंधित पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के धारित पद का प्रभार भा.प्र.से. के संयुक्त सचिव के रूप में ग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11/आ०वि०–01/2024 –सा.प्र. –1014 दिनांक 18.01.2024 में निहित निर्देश के आलोक में प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना संख्या–10721 दिनांक 16.06.2026 में सम्मिलित पदाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में धारित पदों को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं भा.प्र.से. के लिए आवंटित बैच	अधिसूचना दिनांक 16.06.2026 में अंकित बिहार प्रशासनिक सेवा का पद	विभागीय पत्रांक–1014 दिनांक 18.01.2024 के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा में धारित उच्चतर प्रभार का पद
1	श्री मृणायक दास (2016)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मनोरंजन कुमार (2016)	निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	निदेशक (प्रशासन) – विशेष सचिव स्तर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3	श्री विकास कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)
4	डॉ. गगन (2016)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना	प्रबंध निदेशक (विशेष सचिव स्तर),बिहार राज्य भंडार निगम (सहकारिता विभाग), पटना

5	श्री अंजनी कुमार (2016)	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद (विशेष सचिव स्तर), पूर्णिया
6	मो. इजतबा हुसैन (2016)	संयुक्त सचिव, सांख्यिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, सांख्यिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना
7	श्री रजनीश कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
8	श्री विधु भूषण चौधरी (2016)	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन –सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, सूचना एवं जन –सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
9	मो. वसीम अहमद (2017)	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
10	श्री कृत्यानन्द रंजन (2017)	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
11	मो. राशिद आलम (2017)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना	जिला पंचायती राज पदाधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर), पटना
12	श्री इबरार अहमद खाँ (2017)	सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
13	श्री मनोज कुमार (2017)	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,पटना	अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
14	श्री हेमन्त कुमार सिंह (2017)	अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/सी.–1009/2026–सा.प्र.–10721 दिनांक 16.06.2026 की अन्य स्थितियां अपरिवर्तित रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/6/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/सी०–1009/2026–सा०प्र०–10805/पटना–15, दिनांकः 17.06.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई

दिल्ली–110001/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली–110001/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना /सचिव, निर्वाचन विभाग–सह–मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 06, 12, 14 एवं चारित्री कोषांग (बि.प्र.से.) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफआर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, <u>to be exercised within one month from the date of such appointment,</u> for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

(हस्ताक्षर) /6/2026

सरकार के अवर सचिव।